विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

F. No. 60-1/2017 (SA-III) 3rd September, 2019

PUBLIC NOTICE

COLLEGES/UNIVERSITIES/INSTITUTES USING NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL (NSP)

All the stakeholders are hereby informed that NIC/NSP will delete the email IDs and mobile numbers of all user institutions currently registered/stored in NSP. All first level verifying authorities (Institute Nodal Officers) will be asked to re-verify their credentials through District/State Nodal Officers for 2019-20. The instructions and a common online form for verifying credentials and to reset the password, is available on the NSP in its login page. The user needs to take a printout of the form and get it duly certified by the head of the Institution/competent authority. The certified form along with required documents (if any) will then be submitted to State/District Nodal Officer, for 2019-20, for resetting the password.

It also needs to be ensured that not more than one institution is registered against one mobile number.

(Prof. Rajnish Jain)
Secretary

Scanned by CamScanner

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

मि.स. 60.1/2017 (एस ए 3) 3 सितम्बर, 2019

सार्वजनिक सूचना

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एन एस पी) का उपयोग कर रहे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान

सभी हितधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एन आई सी/एन एस पी वर्तमान में पंजीकृत/संग्रहीत सभी उपयोगकर्ता संस्थानों के ईमेल आई डी और मोबाइल नंबर हो हटा देगा। सभी प्रथम स्तर के सत्यापन अधिकारियों (संस्थान नोडल अधिकारियों) को वर्ष 2019–20 के लिए जिला/राज्य नोडल अधिकारियों के माध्यम से अपनी जानकारी/क्रिडेन्शियल्स को पुनः सत्यापित कराने के लिए कहा जाएगा। जानकारी को सत्यापित कराने और पासवर्ड रीसेट कराने संबंधी निर्देश और एक सामान्य ऑनलाइन प्रपत्र, एन एस पी के लॉगिन पृष्ठ पर उपलब्ध है। उपयोगकर्ता को प्रपत्र का एक प्रिंटआउट लेना है और इसे संस्थान/सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् प्रमाणित कराना है। प्रमाणित प्रपत्र अपेक्षित दस्तावेजों (यदि कोई हो) के साथ वर्ष 2019–20 के लिए पासवर्ड रीसेट कराने हेतु राज्य/जिला नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एक मोबाइल नंबर के समक्ष / साथ एक से अधिक संस्थान पंजीकृत नहीं है।

रजनीश

(प्रो. रजनीश जैन)
सचिव

Scanned by CamScanner